तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यावाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.10.22	पत्रावली पेश हुई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में 212 **RT ACT** में वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। क्योंकि विचाराधीन प्रकरण में विपक्षीगणों के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। वकील प्रार्थी द्वारा दी गई दलील व बहस का मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। राजस्व ग्राम श्यामपुरा तहसील सवाई माधोपुर में स्थित विवादित कृषि भूमि ख0 न0 1205 रकबा 0.34 हेक्टयर, ख0न0 1206 रकबा 0.30 है0, ख0न0 1208 रकबा 0.26 है0, ख0न0 1209 रकबा 0.33 है0, ख0न0 1207 रकबा 0.65 है0, ख0न0 2325 रकबा 0.03 है0, ख0न0 4912 रकबा 0.14 है0, ख0न0 5674 रकबा 0.81 है0, ख0न0 5713 रकबा 0.35 है0, ख0न0 5715 रकबा 0.42 है0, ख0न0 5716 रकबा 0.41 है0 का प्रार्थी रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार होने के कारण प्राईमा फैंसी एंव सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में पूर्ण रूप से साबित है। प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न वाद पत्र के निर्णय होने में समय लगने की सम्भावना को देखने हेतु एवं पूर्णनीय क्षति का बिंदू प्रार्थी के पक्ष में पूर्ण रूप से साबित होने के कारण अप्रार्थीगण एक लगायत 3 को ताफैसला वाद पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः आज दिनांक 12.10.22 को प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 **RT ACT** स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण एक लगायत 3 ताफैसला वाद पत्र अस्थाई निषेघांज्ञा से पाबन्ध किया जाता है। विपक्षीगण उपरोक्त खसरा नम्बरान ग्राम श्यामपुरा तहसील स0 मा0 में स्थित प्रार्थी की विवादित अराजियत के उपयोग में बाधा उत्पन्न न तो स्वय करें, न अन्य से करावे। उक्त अराजियत की राजस्व रिकोर्ड में भी यथास्थिति बनाये रखे। आज दिनांक 12.10.22 को निर्णय खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील हमफीता के साथ सलंग्न करें। सहायक कलेक्टर मु0 सवाई माधोपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Harshit Verma
Date: 2022.11.16 17:49:22 IST
Reason: SelfAttested